न्यायालयः-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.कमांक—895 / 2012 संस्थित दिनांक 07.11.2012 फाई. क.234503001402012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)

– – – अ<u>भियोजन</u>

/ <u>विरुद्ध</u> / /

पुरनसिंह पिता नन्हेसिंह उम्र–39 वर्ष, निवासी ग्राम पांडियाटोला जानपुर थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट। — — — — **आरोप**

/ / <u>निर्णय</u> / / दिनांक 08.03.2018 को घोषित

- 01. आरोपी के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा—25 के अंतर्गत अपराध किये जाने का यह आरोप है कि उसने दिनांक 12.10.2012 को रात्रि 11:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत स्थान भजनदास भासनकर के घर के सामने रोड पर पांडियाटोला जानपुर में एक तलवार बिना वैध अनुज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राज्य के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/6552(1) दिनांक 22.11.1974 का उल्लंघन कर अपने आधिपत्य में रखे पाए गए।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ज्ञानेश्वर इड़पाचे प्रधान आरक्षक थाना मलाजखण्ड दिनांक 13.10.12 को आरक्षक कमांक 1259 एवं 317 के साथ ग्राम मोहगांव मलाजखड रात्रि गश्ती हेतु गया था। मुखबिर द्वारा फोन पर सूचना मिली कि ग्राम पांडियाटोला जानपुर में पुरनसिंह द्वारा भजनदास भासनकर के घर के सामने रोड पर तलवार लेकर घुम रहा है। उक्त सूचना पर वह आरक्षक तथा गवाह काशीदास, गेंदलाल कोटवार, लक्ष्मीप्रसाद को लेकर मौके पर गया, तो आरोपी हाथ में तलवार लेकर घुम रहा था, जिसे करीब 1:30 बजे पकड़ा गया। तलवार के संबंध में कागजात पूछने पर नहीं होना बताया। उक्त तलवार को गवाहों के

समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान गवाहों के कथन, घटनास्थल का मौका—नक्शा, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

- 03— आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा—25 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।
- 04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्निखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—
 1.क्या आरोपी ने घटना दिनांक 12.10.2012 को रात्रि 11:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत स्थान भजनदास भासनकर के घर के सामने रोड पर पांडियाटोला जानपुर में एक तलवार बिना वैध अनुज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राज्य के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/6552(1) दिनांक 22.11.1974 का उल्लंघन कर अपने आधिपत्य में रखे पाए गए ?

विवेचना एवं निष्कर्ष:-

05— साक्षी गेंदलाल अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब तीन—चार साल पूर्व रात्रि सात—आठ बजे ग्राम जानपुर पांडियाटोला की है। वह लोग दुर्गा के संबंध में गांव में मीटिंग रखे थे। वह मीटिंग से वापस लौट रहा था, तभी उसके घर के पास आरोपी पूरनसिंह ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद आवाज दी तो गांव के अन्य लोग आये। आरोपी पूरनसिंह के पास एक तलवार थी। आरोपी उन लोगों से

झगड़ा कर रहा था, जिसके बाद उन लोगों ने उसे पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी पूरनिसंह से एक बड़ी तलवार जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी पूरनिसंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

- 06— साक्षी गेंदलाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस वालों के साथ वह मौके पर नहीं गया था, पुलिस थाना मलाजखण्ड की पुलिस मौके पर आकर आरोपी को गांव वालों की मदद से पकड़कर ले गये थे। साक्षी के अनुसार कोटवार आरोपी को थाने ले गया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि थाने में तलवार को कोटवार लेकर गया था, पुलिस थाना मलाजखण्ड में जप्त तलवार कोटवार लेकर गया था और उसी के पास से जप्ती बनायी गयी थी, जप्ती पत्रक प्र.पी.01 में उसने अपने हस्ताक्षर पुलिस थाना मलाजखण्ड में किया था। उसने प्र.पी.01 पर हस्ताक्षर किस संबंध में किया था नहीं बता सकता। प्र.पी.01 किस संबंध में लिखा गया है उसने उसे पढ़कर नहीं देखा और ना ही पुलिस ने उसे पढ़कर बताया था।
- 07— साक्षी गेंदलाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि ग्राम जानपुर पांडियाटोला में पुलिस वालों ने उसके समक्ष आरोपी से कोई तलवार जप्त नहीं किया था। वह जप्ती एवं गिरफ्तारी का दिन व दिनांक नहीं बता सकता। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने उसके कोई कथन नहीं लिये थे, पूरनसिंह जानपुर में नहीं रहता है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पूरनसिंह को गांव से भगाने के लिए उन लोगों ने उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट किये थे तथा उक्त विवाद के कारण वर्तमान में

पूरनसिंह दूसरे गांव में जाकर निवास कर रहा है।

- 08— साक्षी काशीदास अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन—चार वर्ष पूर्व बरसात के समय की रात्रि की ग्राम पांडियाटोला जानपुर की है। घटना के समय गेंदलाल अपने बचाव हेतु आवाज दे रहा था, जिसके बाद वह तथा गांव के अन्य लोग घटनास्थल पर गये और देखे तो आरोपी अपने हाथ में एक तलवार रखे हुए था, जो गेंदलाल को धमका रहा था। उन लोगों ने आरोपी को समझाने की कोशिश की, परन्तु वह नहीं माना। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आकर आरोपी को ले गई। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 09— साक्षी काशीदास अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय गांव में दुर्गाजी के चंदा के संबंध में मीटिंग रखी गई थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी के कब्जे से एक बड़ी तलवार लंबाई 33 इंच, चौड़ाई डेढ़ इंच जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 बनाया था, परन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी.01 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था, परन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।
- 10— साक्षी काशीदास अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.01 पर उसने हस्ताक्षर थाना मलाजखंड में किया था, जप्ती पत्रक प्र.पी.01 की लिखा—पढ़ी

पुलिस ने ग्राम पांडियाटोला जानपुर में नहीं की थी, आरोपी पूरनिसंह उसके सामने गांव के लोगों को नहीं चिल्ला रहा था, वह जब गया था उस समय आरोपी पूरनलाल, गेंदलाल के साथ भजनदास के घर के पास खड़ा था, वह पूरनिसंह के लड़के छोटू को जानता है, छोटूसिंह ने हलकूदास की लड़की से अंतरजाति विवाह किया है, वह, भजनदास, हलकूदास एक ही जाति समाज के है, पूरनिसंह दूसरी जाति का है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपी के पुत्र ने उनके समाज की लड़की से विवाह किया था, इसलिये उसके विरुद्ध झूटा प्रकरण दर्ज किया गया है।

- 11— साक्षी भजनदास अ.सा.03 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो वर्ष पूर्व रात्रि के समय ग्राम पांडियाटोला जानपुर की है। घटना के समय उन लोगों की दुर्गाजी के संबंध में मीटिंग थी, जिसमें आरोपी विवाद कर रहा था। लोगों के समझाने पर वह घर चला गया और कुछ देर बाद पुनः हाथ में लोहे का कोई सामान रखकर लाया और विवाद करने लगा। उन लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, परन्तु वह नहीं माना। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आकर आरोपी को ले गई। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से लोहे के सामान की जप्ती बनाई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 12— साक्षी भजनदास अ.सा.03 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी के पास एक लोहे की तलवार थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसे घटना का दिन, तारीख, महीना एवं वर्ष नहीं मालूम। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने उससे घटना के तीन दिन बाद पूछताछ किये थे। वह निश्चित तौर पर नहीं बता सकता कि आरोपी के हाथ में तलवार थी या नहीं, क्योंकि वह उक्त वस्तु को रात होने से पूरी तरह से देख नहीं पाया

फाईलिंग क. 234503001402012

था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने हाथ में तलवार लेकर नहीं घुमाया था, आरोपी को उसने अपने घर के सामने खड़े देखा था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपी पूरनलाल के परिवार वालों ने उसे नहीं बताया था। ऐसा नहीं हुआ था कि घटना के दूसरे दिन उसने पुलिस को कथन दिया था।

- 13— साक्षी ज्ञानेश्वर इड़पाचे अ.सा.04 ने कथन किया कि वह दिनांक 12.10.2012 को थाना मलांजखण्ड में प्रधान आरक्षक गश्ती के पद पर पदस्थ था। दिनांक 13.10.2012 को हमराह आरक्षक 1259, 317 के ग्राम मोहगांव एवं मलाजखंड रात्री गश्त ड्यूटी के दौरान मुखबिर द्वारा फोन पर सूचना मिली कि ग्राम पंडयाटोला जानपुर में पुरनसिंह एक बड़ी तलवार लेकर घुमकर डरा—धमका रहा है।
- साक्षी ज्ञानेश्वर इड़पाचे अ.सा.04 के अनुसार उक्त सूचना पर गवाह काशीदास, गेंदलाल कोटवार को लेकर मौके पर गया। आरोपी हाथ में तलवार लेकर घुमता हुआ रात्रि 1:30 बजे मिला, जिसे ग्रामवासियों के सहयोग से पकड़ कर पेश करने पर आरोपी के पास से एक तलवार, जिसकी लंबाई 33 इंच तथा फल की लंबाई 28 इंच एवं मुठ की लंबाई 05 इंच, जिसमें आधा मुठ लोहा एवं आधे में बांस लगा हुआ था। मुठ में गॉड लगा हुआ, तलवार रखने के संबंध में लाईसेंस पूछने पर नहीं होना बताया गया। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों काशीदास, गेंदलाल, भजनदास, लक्ष्मीप्रसाद के समक्ष आरोपी पुरनसिह के कब्जे से एक तलवार जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी.1 तैयार किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त तलवार न्यायालय में प्रस्तुत है, जो आर्टिकल ए–1 है।
- 15— साक्षी ज्ञानेश्वर इड़पाचे अ.सा.04 के अनुसार आरोपी को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी.2 तैयार किया गया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके बाद आरोपी को थाना

मलाजखण्ड लेकर आये। आरोपी का कृत्य धारा—25 आर्म्स एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जो प्रपी.04 है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उक्त संबंध में ग्रामवासियों द्वारा लिखित आवेदन प्रपी.3 प्रस्तुत किया था, जिस पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान जप्तशुदा तलवार का मानचित्र प्रपी.5 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 16— साक्षी ज्ञानेश्वर इड़पाचे अ.सा.04 के अनुसार दिनांक 13.10.2012 को उसके द्वारा गवाह गेंदलाल, काशीदास, भजनदास के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। उक्त कार्यवाही के संबंध में प्रकरण में रवानगी, वापसी का रोजनामचा सान्हा प्रपी—6 तथा प्रपी—7 संलग्न है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 17— साक्षी ज्ञानेश्वर इड़पाचे अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेखबद्ध किया था, उसने प्रपी.04 की रिपोर्ट अपने मन से लेखबद्ध किया था, प्रपी—1 जप्ती की कार्यवाही उसने थाने में बैठकर किया था, गवाह गेंदलाल और काशीदास के सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसने मुखबिर द्वारा सूचना के संबंध में कोई पंचनामा नहीं बनाया था। साक्षी के अनुसार पंचनामा बनाना आवश्यक नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल का मौका—नक्शा नहीं बनाया। साक्षी के अनुसार रात्रि होने के कारण मौका—नक्शा नहीं बन पाया। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल का मौका—नक्शा नहीं बनाया साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल का मौका—नक्शा नहीं बनाया था, क्योंकि ऐसी

कोई घटना घटित नहीं हुई थी, उसने आरोपी के खिलाफ गांव वालों के कहने पर झूठा केस बनाया है तथा आरोपी ने कोई घटना कारित नहीं की थी।

- 18— प्रकरण में जप्ती प्रदर्श पी—01 के दोनों साक्षियों ने घटनास्थल पर जप्ती का समर्थन नहीं किया है और थाना मलाजखंड में जप्ती की कार्यवाही होने के कथन किये है। यद्यपि विवेचक ज्ञानेश्वर इड़पाचे अ.सा.04 के कथन विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है तथा आरोपी से पुलिस का कोई पूर्व वैमनस्य दर्शित नहीं है, तथापि उक्त विवेचक द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने घटनास्थल का मौका—नक्शा नहीं बनाया है। आरोपित अपराध हेतु घटनास्थल का सार्वजनिक स्थान होना आवश्यक है। प्रकरण की साक्ष्य से घटनास्थल के संबंध में युक्ति—युक्त संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- 19— फलतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर एक तलवार बिना वैध अनुज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राज्य के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/6552(1) दिनांक 22.11.1974 का उल्लंघन कर अपने आधिपत्य में रखे पाए गए। अतः अभियुक्त पुरनिसंह को आर्म्स एक्ट की धारा—25 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 20— प्रकरण में अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान दिनांक 13.10.2012 से दिनांक 10.10.2012 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 21- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक नग बड़ी तलवार जिसकी

लंबाई करीब 33 से.मी. को तोड़कर नीलाम कर राशि राजकोष में जमा की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

ELIMINA PARETA